जेएनएनयूआरएम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति"(एस.एल.एस.सी.) की दिनांक 27 जुलाई, 2011 को सम्पन्न 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

1. डा0 पी0वी0 जगनमोहन, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री वी. के. चौरसिया, उप सलाहकार, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाइजेशन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. श्री वाई. रमेश, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. श्रीमति प्रोमिला भल्ला,एसोशियेट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. श्री जे0एन0 वर्मन, संयुक्त निदेशक, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री बी0के0एल0 श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. श्री चिंतामणि, निदेशक, सूडा, लखनऊ।
10. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
11. श्री पी0के0 भूकेश, निदेशक, सी0एण्डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम।
12. श्री बी0एल0 गौतम, मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13. श्री रवि रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. श्री सीताराम, मुख्य अभियन्ता (फैजाबाद क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
15. श्री लाखन सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुरादाबाद क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।
16. श्री बी0पी0सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, सी0एण्डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम।
17. श्री अतर सिंह, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
18. श्री पी0के0 मित्तल, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
19. श्री के0के0 अग्रवाल, टीम लीडर, पीएमयू।
20. श्री अशोक कुमार, ए0टी0पी0, बन्दरिया बाग, लखनऊ।
21. श्री आर0एन0 डे0, पीएचई, पीएमयू।
22. श्री आर0के0 गौड़, तकनीकी सलाहकार, सी0एण्डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम।
22. श्रीमती अजंता देवी, शोध अधिकारी, नियोजन विभाग।

बैठक में निम्न परियोजनाओं तथा अन्य बिन्दुओं पर विचार हुआ।

एजेण्डा बिन्दु 1. रामपुर सड़क एवं उपरिगामी सेतु परियोजना के स्थान पर प्रस्तावित 03 परियोजनाएं यथा बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना, अयोध्या सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना एवं फैजाबाद सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना हेतु केन्द्रांश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना की पुनरीक्षित डी.पी.आर. अनुमानित लागत ₹ 7574.24 लाख तथा अयोध्या सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना एवं फैज़ाबाद सालिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की डी.पी.आर. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार ही स्वीकृत मानी जायेगी। अयोध्या व फैजाबाद सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की परियोजनाओं पर सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से

प्राप्त हुई आपत्तियों से श्री वी.पी. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, सी.एण्ड डी.एस. द्वारा अवगत कराया गया। जिस पर सी.पी.एच.ई.ई.ओ. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित आपत्तियाँ प्रेषित की जा रही है। संशोधित आपत्तियाँ प्राप्त कर इनका प्राथमिकता पर निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार /उ0प्र0 जल निगम/ सी0 एण्ड डी0 एस0)

एजेण्डा बिन्दु 2. भारत सरकार को प्रेषित 08 परियोजनाओं यथा– अलीगढ़ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, इटावा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैनपुरी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, झाँसी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, मुरादाबाद सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, मिर्ज़ापुर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, बदायूँ पेयजल व आज़मगढ़ पेयजल की प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये हेतु प्रस्ताव।

इस संबंध में एसोसियेट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उपरोक्त में से 03 परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग, भारत सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है तथा शेष 05 परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्रों को एक सप्ताह में वित्त विभाग, भारत सरकार को अग्रसारित करा दिया जायेगा।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार /उ0प्र0 जल निगम/ सी0 एण्ड डी0 एस0)

एजेण्डा बिन्दु 3. स्वीकृत 64 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं के डी.पी.आर. के संशोधन/पुनरीक्षण के सम्बंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यों की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि, निर्माण कार्यों हेतु सम्बंधित योजनाओं में प्रस्तावित स्थलों के स्थान पर कतिपय कारणवश दूरस्थ स्थल उपलब्ध हो पाने के परिणामस्वरूप राइज़िंग/फ़ीडर मेन आदि कार्यों की लम्बाई में वृद्धि, इत्यादि अपरिहार्य कारणवश स्वीकृत 64 परियोजनाओं में से 26 परियोजनायें सम्बंधित नगर निकायों द्वारा पुनरीक्षित की गई है। इनमें से 14 परियोज़नाओं यथा– बलिया पेयजल, गोण्डा पेयजल, मुजफ्फरनगर पेयजल, एटा पेयजल, लहरपुर पेयजल, बागपत पेयजल, फैजाबाद पेयजल, बिजनौर पेयजल, हापुड़ पेयजल, मुरादाबाद पेयजल, गोरखपुर पेयजल, कन्नौज़ पेयजल, बस्ती रोड्स एण्ड फ़्लाई ओवर परियोजना एवं मैनपुरी सीवरेज की पुनरीक्षित डी.पी.आर. की स्वीकृति राज्य व्यय वित्त समिति (ई.एफ़.सी.) द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा शेष परियोजनाओं की पुनरीक्षित डी.पी.आर. का परीक्षण कर राज्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में समिति का मत था कि मूल्यवृद्धि का पूर्ण रूप से वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, फिर भी जिन परियोजनाओं में संशोधन के कारण परियोजना के स्कोप में परिवर्तन हुआ है, उनके संशोधित डी.पी.आर. भारत सरकार को प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही: उ. प्र. जल निगम/ सी. एण्ड डी. एस./ सम्बंधित नगर निकाय/ एस.एल.एन.ए.)

एजेण्डा बिन्दु 4. यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत 64 योजनाओं की 30 जून, 2011 तक की प्रगति की स्थिति के सम्बंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि स्वीकृत 64 परियोजनाओं में से 33 परियोजनायें की स्वीकृत लागत ₹ 703.59 करोड़ के लिये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी हैं तथा ₹ 551.58

करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं इन परियोजनाओं की औसत भौतिक प्रगति लगभग 80 प्रतिशत है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि इन परियोजनाओं का 'फ़ाइनेन्शियल क्लोज़र' प्रमाण पत्र माह दिसम्बर, 2011 तक प्रेषित कर दिया जाय। रामपुर सड़क एवं उपरिगामी सेतु परियोजना को छोड़कर शेष 30 परियोजनाओं के सम्बंध में समिति को अवगत कराया गया कि उपरोक्त बिन्दु सं. 2 के सापेक्ष इंगित 08 परियोजनाओं, जिसकी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार में प्रेषित किया जा चुका है, की औसत भौतिक प्रगति लगभग 43 प्रतिशत है एवं 22 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं की पुनरीक्षित डी.पी.आर. को राज्य व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण कराये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

(कार्यवाहीः उ. प्र. जल निगम / सी. एण्ड डी. एस / सम्बंधित नगर निकाय / एस.एल.एन.ए.)

एजेण्डा बिन्दु 5. यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश की योजनाओं की "इन्डीपेन्डेन्ट रिव्यू एण्ड मानीटरिंग एजेन्सी" (आई.आर.एम.ए.) नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार पत्रांक के.–14011/21/2008–यू.डी..। दिनांक 19.11.2009 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुश्रवण कराये जाने के लिये यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत "इन्डीपेन्डेन्ट रिव्यू एण्ड मानीटरिंग एजेन्सी" (आई.आर.एम.ए.) के रूप में नियुक्त मेसर्स एम.एस.वी. इन्टरनेशनल इन्क., गुरगाँव फ़र्म को 'आई.आर.एम.ए.' के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु फ़र्म के साथ अनुबंध 13 मई, 2011 को किया गया है। फ़र्म द्वारा (उक्त दिशानिर्देश के अनुसार) स्वीकृत 64 योजनाओं के सापेक्ष अधिकतम् लागत की प्रथम 10 प्रतिशत परियोजनाओं अर्थात 6 परियोजनाएं यथा– गाज़ियाबाद रोड्स एण्ड फ़्लाई–ओवर, फिरोजाबाद सीवरेज, लोनी सीवरेज, लोनी पेयजल पुनर्गठन, मैनपुरी सीवरेज एवं बलिया सीवरेज परियोजनाओं की स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुश्रवण करायी जायेगी। उक्त कार्य हेतु फ़र्म का शुल्क ₹ 2,40,048/– अनुमानित है। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

(कार्यवाहीः एस.एल.एन.ए. / शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

एजेण्डा बिन्दु 6. एसएलएनए स्तर पर गठित 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट' पर 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने के सम्बंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुमोदन से एस.एल.एन.ए. स्तर पर वर्ष 2009–10 से 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट' (पी.आई.यू.) का गठन किया गया है। पी.आई.यू. में 02 'म्यूनिसिपल फाइनेन्स आफ़िसर', 01 'इन्फ़ारमेशन टेक्नोलाजी आफ़िसर' एवम् 01 पब्लिक हैल्थ इन्जीनियर कार्यरत हैं। इन्हें सहयोग देने हेतु सपोर्टिंग स्टाफ़ नियुक्त है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में पी.आई.यू. पर व्यय हेतु **₹ 66.00 लाख** का बजट प्राविधान किया गया था। इसके सापेक्ष प्रथम छः माही अर्थात 01 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक कुल **₹ 10,74,251/–** का व्यय पी.आई.यू. पर हुआ, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार को पत्र संख्या पी.एम.यू./304/151(2)/2010 दिनांक 03.03.2011 द्वारा अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 की द्वितीय छः माही अर्थात 01 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च, 2011 तक पी.आई.यू. पर **₹ 25,95,123/–** का व्यय हुआ है। द्वितीय छः माही में प्रथम छः माही की तुलना में अधिक व्यय होने का मुख्य कारण रिक्त पदों का भरा जाना है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 में पी.आई.यू. पर कुल **₹ 36,69,374/–** का व्यय हुआ है। द्वितीय छः माही में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति दावा भी अपेक्षित विवरण पत्र पर व्यय के समर्थन में प्रमाणित अभिलेखों के साथ भारत सरकार को निदेशक/एस.एल.एन.ए. के पत्र

संख्या पी.एम.यू./929/151(2)/2010 दिनांक 5.7.2011 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति प्रतीक्षित है।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/एस.एल.एन.ए.)

बैठक उपर्युक्तानुसार विचार–विमर्श एवं निर्णयोपरान्त सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग--5
संख्या–५१५१ /नौ–5–10–51सा/2005टीसी
लखनऊः दिनांकः ११ अगस्त, 2011

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/ सचिव (श्री सहगल/ डा0 जगनमोहन), उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/ पर्यावरण/ वित्त/नियोजन/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
6. प्रतिनिधि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि आई. एफ़. डिविज़न, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि टी.सी.पी.ओ., टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाइज़ेशन, भारत सरकार, ई–ब्लाक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002.
11. प्रतिनिधि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
13. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. महापौर/नगर आयुक्त, बरेली नगर निगम, बरेली ।
15. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या/फैजाबाद।
16. टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव